N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0242 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2025 18:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 16/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:13 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2025 18:18:08 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** AROP SURAJ MAL SARPANCH KA MAKAN AKLERA ROAD,, H P PETROL PUMP KE SAMANE,, CHHIPABAROD JILA BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DANMAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): GHASILAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KHEDLA ZAGEER, CHHIPABAROD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHEDLA ZAGEER, CHHIPABAROD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURAJMAL MALAV		पिता:PHOOLCHAND	1. AKLERA ROAD H P PETROL PUMP KE SAMANE,CHHIPABAROD,BARAN,RAJASTHAN,INDIA
2	RAMKALYAN		पिता:DEVLAL	1. MUNDKYA,CHHABRA,CHHABRA ,BARAN,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2025 को समय 3.00 पीएम पर परिवादी श्री दानमल पुत्र घासीलाल जाति मेघवाल उम्र 35 साल निवासी खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां मो0नं0 ' ने एसीबी कार्यालय बारां में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री दानमल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "प्रार्थी दानमल पुत्र श्री घासीलाल निवासी ग्राम खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां का निवासी हूं। हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच सूरजमल मालव मेरे बडे भाई के बच्चे का राशन कार्ड में नाम सही करवाने एवं मेरी इन्द्रा आवास की तीसरी किश्त मेरे खाते में डलवाने के बदले 12000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं सूरजमल सरपंच को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उक्त सरपंच से कोई उधार लेन देन व रंजिश नहीं है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी श्री दानमल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है। हालात से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां को अवगत कराया गया। जिन्होंने अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवाद में अंकित तथ्यों एवं पूछताछ अनुसार परिवादी श्री दानमल को आरोपी सरपंच सूरजमल ग्राम पंचायत खेडला जागीर के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी से कहा तो परिवादी ने बताया कि सरपंच से वार्ता कल दिनांक 15.09.2025 को होगी, क्योंकि अभी सरपंच के पास पहुंचने में रात्री का समय हो जायेगा, इसलिए वह बात नहीं करेगा। कल आप आपके कार्यालय से किसी कर्मचारी को भिजवा देना, मैं उसको छीपाबडौद मिल जाउंगा। इस पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिनेश कुमार कानि. 360 को बुलाकर परिवादी श्री दानमल से आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी को बताया कि यही कल आपके पास डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आयेंगे। परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया बताई जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। श्री दिनेश कानिस्टेबल को दिनांक 15.09.2025 को परिवादी श्री दानमल के पास छीपाबडौद जाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी श्री दानमल को मामले की गोपनीयता की हिदायत कर समय करीब 5.00 पीएम पर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 15.09.2025 को समय 7 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां मय श्री दिनेश कानि 360 कार्यालय में उपस्थित आया। जिसे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमोरी कार्ड के सुपुर्द किया। श्री दिनेश कानि. को कस्बा छीपाबडौद पहुंचकर परिवादी श्री दानमल से संपर्क कर उसे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी सूरजमल सरपंच (प्रशासक) के पास भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने एवं स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुऐ रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी रखने की हिदायत कर सत्यापन हेतु कस्बा छीपाबडौद रवाना किया गया। समय 1.30 पीएम पर श्री दिनेश कानि0 360 मय परिवादी श्री दानमल को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। श्री दिनेश कानि0 360 ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री दानमल के पास छीपाबडौद पहुंचा जहां परिवादी श्री दानमल छीपाबडौद में गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिला। श्री दानमल को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने की कहा तो परिवादी ने बताया कि आज सरपंच मुझे अकलेरा रोड पेट्रोल पम्प के सामने उसके घर पर मिलेगा जहां रिश्वत मांग के सम्बन्ध मेरी सरपंच के साथ बातचीत हो सकती है। इस पर मैं परिवादी को साथ लेकर

अकलेरा रोड पैट्रोल पम्प से कुछ दूरी पहले पहुंचा जहां मैंने परिवादी श्री दानमल को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर परिवादी को दिया तथा रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु परिवादी को आरोपी सरपंच के पास उसके घर अकलेरा रोड पेट्रोल पम्प के सामने समय 10.56 एएम पर रवाना किया। मैं आसपास छूपाव हासिल करते हुए निगरानी करने लगा। उसके बाद परिवादी श्री दानमल लगभग 11.15 एएम पर वापस मेरे पास आया जिसने डिवीआर बन्द करके मुझे सुपुर्द किया। मैंने परिवादी से पुछा तो परिवादी श्री दानमल ने बताया कि "मैं डीवीआर चालू कर श्री सुरजमल मालव सरपंच के पास अकलेरा रोड पेट्रोल पम्प के सामने उसके मकान पर पहुंचा जहां श्री सुरजमल मालव सरपंच मौजूद मिला। जिससे मैंने मेरे प्रधानमंत्री आवास के फार्म एवं मेरे भाई के दोनो बच्चो के राशन कार्ड मे नाम सही करने के फार्म पर साईन करवाने की कहा तो श्री सुरजमल मालव सरपंच ने मुझसे 12000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे भाई श्री अमरलाल द्वारा जिला कलक्टर को पेश की गई शिकायत को मुझे पढकर सुनाया। श्री सुरजमल सरपंच ने मुझसे कहा कि रूपये देने के बाद ही तेरे सब काम करूंगा। उसके बाद मैं रवाना होकर आपके पास आ गया। मेरी व सरपंच श्री सुरजमल की जो भी बातचीत हुई वह डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है।" इस पर मैं परिवादी श्री दानमल को लेकर आपके पास आ गया।" मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री दानमल से पुछा तो परिवादी ने श्री दिनेश कानि0 360 के कथनो की ताईद की। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना तो 12000 रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी श्री दानमल से ट्रेप कार्यवाही करवाने एवं ट्रेप राशि के बारे में कहा तो परिवादी ने ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु कहा तथा ट्रेप राशि 12000 रूपये साथ लाना बताया। समय 2.00 पीएम पर कार्यालय पत्रांक 995 दिनांक 15.09.2025 तैयार कर स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु श्री विक्रम कानि. 23 को दिया जाकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां रवाना किया गया। समय 2.15 पीएम पर श्री विक्रम सिंह कानि0 23 मय जिला आबकारी अधिकारी बारां का पत्रांक 1620 दिनांक 15.09.2025 मय दो स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको मन प्रेमचन्द उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री राजपाल जाति गुर्जर उम्र 57 साल निवासी ग्राम निमूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल कानिस्टेबल कार्यालय सहायक अधिकारी आबकारी निरोधक दल बारां मोबाईल नंबर , श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री बृजभूषण गुप्ता जाति महाजन उम्र 40 साल निवासी न्यू नाकोड़ा कॉलोनी बारां हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां मोबाईल नंबर होना बताया। ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री दानमल द्वारा दिनांक 14.09.2025 को ब्यूरो कार्यालय बारां में पेश किया गया प्रार्थना पत्र दोनो स्वतन्त्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने हेतु सहमति चाही तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर बतौर स्वतंत्र गवाह कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति देते हुए परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 2.30 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (KDM 8GB) में परिवादी श्री दानमल एवं आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष लेपटॉप में लगाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री दानमल ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच तथा तीसरी आवाज सरपंच के लडके की तथा एक आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री दिनेश कानि0 360 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 4.15 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दानमल पुत्र घासीलाल जाति मेघवाल उम्र 35 निवासी खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां ने अपने पास से निकालकर बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के 24 नोट कुल 12 हजार रूपये मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0GK 760902 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0GK 164960 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7EQ 848766 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3GQ 700958 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1AK 121816 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7NB 617228 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1SD 459998 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0CH 871829 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8TF 806946 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6CV 383478 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6EK 374918 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2MB 250742 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0TP 086863 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7VB 796004 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4CB 577144 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6SS 046302 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0QB 812144 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1NS 246090 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6AR 071683 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3FN 777419 21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1BD 478773 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4LA 605414 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8DH 564890 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0ER 204504 श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 मालखाना प्रभारी से मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर

की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री दानमल की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद से लिवाई गई। परिवादी श्री दानमल के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 12 हजार रूपये को परिवादी की पहनी पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 से मालखाने में रखवायी गई। श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल 125 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहां ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुये एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पडे तो दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आरोपी रिश्वत राशि लेकर कहां रखता है या छुपाता है। परिवादी दानमल को समझाया कि रिश्वत देने के बाद मेरे नम्बर पर कॉल कर अवगत कराये या अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का ईशारा करे। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री दानमल को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गयी। दोनों स्वतंत्र गवाहों व ट्रेप पार्टी को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। एसीबी स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई। ट्रेप टीम के पूरे स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये एवं कोई आपत्तिजनक वस्तु या राशि नहीं रहने दी गई। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर मुर्तिब की गई। समय 4.45 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री दानमल, स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता मय एसीबी टीम श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 300, श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री जावेद अख्तर कानि0 25 मय ट्रेप उपकरण लेपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 व प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा छीपाबडौद हेतु रवाना होकर समय 6.25 पीएम पर कस्बा छीपाबडौद में अकलेरा रोड पर एचपी पेट्रोल पम्प से कुछ दूरी पहले पहुंचे। दोनों वाहनो को साईड में सुरक्षित खडा करवाया। श्री अमरलाल मोटरसाईकिल सहित उपस्थित आया। समय 6.32 पीएम पर परिवादी श्री दानमल को उसके भाई श्री अमरलाल के साथ मोटरसाईकिल पर रिश्वत लेनदेन वार्ता हेतु आरोपी सरपंच के पास उसके घर पेट्रोल पम्प के सामने रवाना किया गया। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे जाकर आरोपी के मकान के आसपास छुपाव हासिल करते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगा। समय 6.43 पीएम पर परिवादी श्री दानमल मय अपने भाई श्री अमरलाल के साथ मोटरसाईकिल से वापस आये जिससे रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास रखा। श्री दानमल ने पुछने पर बताया कि " मैं मेरे भाई के साथ मोटरसाईकिल पर सरपंच के पास उसके घर पर गये जहां पर सरपंच सूरजमल मौजूद नही मिला उसका लडका मौजूद मिला जिससे सरपंच श्री सुरजमल मालव के बारे में पुछा तो बाहर होना बताया। सरपंच के लडके ने फोन पर मेरी बात सरपंच से करवाई तो सरपंच ने मुझे कहा की दो घण्टे लगेंगे मुझे आने में सुबह आना। फिर मैं रवाना होकर आपके पास आ गया।" मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। ट्रेप कार्यवाही की सभांवना नही होने से दिनांक 16.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। परिवादी की दाहिने जेब से रिश्वत राशि 12000 रूपये श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 से निकलवाई जाकर लिफाफे में रखवाई गई तथा सरकारी वाहन के डेश बोर्ड में रखवाई गई। परिवादी को जरूरी काम होने से परिवादी श्री दानमल दिनांक 16.09.2025 को कस्बा छीपाबडौद में सुबह 10 एएम पर उपस्थित मिलने की हिदायत कर परिवादी व उसके भाई श्री अमरलाल को रूखसत किया गया। समय 7.30 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता मय एसीबी टीम श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 300, श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री जावेद अख्तर कानि0 25 मय ट्रेप उपकरण लेपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर समय 9.30 पीएम पर एसीबी कार्यालय बारां पहुंचे। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड व रिश्वत राशि का लिफाफा मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी जाप्ता को दिनांक 16.09.2025 को 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द गोपनीयता की हिदायत देकर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 16.09.2025 को समय 9.00 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद एवं अरूण गुप्ता व एसीबी जाप्ता उपस्थित आया। मालखाने से डीवीआर मय मेमोरी

कार्ड निकलवाकर स्वयं के पास रखा। रिश्वत राशि का लिफाफा श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 से मालखाने से निकलवाकर वाहन के डेश बोर्ड में रखवाया गया। समय 9.15 एएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता मय एसीबी टीम श्री ज्ञानचन्द एएमआई, श्री बबलेश कानि0 300, श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री जावेद अख्तर कानि0 25 मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप उपकरण, लेपटॉप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 मय प्राईवेट वाहन के कस्बा छीपाबडौद रवाना हुआ। श्री उमाशंकर हैड कानि0 को चौकी पर छोडा गया। परिवादी श्री दानमल को कस्बा छीपाबडौद में उपस्थित मिलने हेतु पाबंद किया गया। समय 11.00 एएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी टीम कस्बा छीपाबडौद पहुंचा। परिवादी श्री दानमल मोटरसाईकिल सहित गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिला। दोनों वाहनो को साईड में सुरक्षित खडा करवाया गया। परिवादी की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री अरूण गुप्ता से लिवाई जाकर मोबाईल के अलावा कुछ नही रहने दिया। ट्रेप राशि 12000 रूपये का लिफाफा श्री नरेन्द्र कानि0 530 से वाहन के डेश बोर्ड मे निकलवाया गया एवं ट्रेप राशि 12000 रूपये को लिफाफे में से निकलवाकर श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 द्वारा परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाई गई । राशि रखने हेतु प्रयोग में लिये गये लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया तथा श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 के हाथ साबुन एवं साफ पानी से धुलवाए गए। परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वत राशि को अनावश्यक नही छुए, आरोपी के मांगने पर उसे देवे। समय 11.23 एएम पर परिवादी श्री दानमल को डीवीआर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत लेन देन वार्ता हेतु आरोपी श्री सुरजमल सरपंच के निजी आवास एचपी पेट्रोल पम्प के सामने अकलेरा रोड छीपाबडौद उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता के परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर आरोपी के मकान के आसपास छुपाव हांसिल करते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगा। समय 11.46 एएम पर परिवादी श्री दानमल उसकी मोटरसाईकिल मे मन उप अधीक्षक के पास वापस आया जिससे डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर स्वयं के पास रखा। परिवादी से पुछने पर परिवादी ने बताया कि "मैं डीवीआर को लेकर श्री सुरजमल सरपंच के पास उसके घर पर गया था। सुरजमल सरपंच मुझे घर पर ही मौजूद मिला जिससे मेरी बातचीत हुई। सुरजमल सरपंच ने रिश्वत राशि 12000 रूपये मुझसे नही लिये और मेरे इन्दिरा आवास के फार्म एवं राशन कार्ड में भतीजो के नाम चेंज करवाने वाले फार्म पर साईन भी नही किये। सरपंच ने मुझसे कहा कि तुम 12000 रूपये रामकल्याण को दे देना मैं उससे ही रूपये लुंगा, तुम्हारा विश्वास नही है तुम मुझे फंसा दोगे। तथा सरपंच ने उसके मोबाईल से मेरी बात श्री रामकल्याण से करवाई। श्री रामकल्याण ने फोन पर सरपंच साहब के पास आने की कहा है। फिर मैं रवाना होकर आपके पास आ गया। रामकल्याण के आने के बाद मैं उसके साथ सरपंच के पास जाउंगा तथा अभी जो भी वार्ता हुई वह इस डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई है।" मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। परिवादी के कहेनुसार एवं रिकार्ड वार्ता से स्पष्ट हुआ कि आरोपी सरपंच परिवादी दानमल से रिश्वत राशि नही लेगा रामकल्याण (प्राईवेट व्यक्ति) के मार्फत ही रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। अतः परिवादी को श्री रामकल्याण के छीपाबडौद आने पर उससे सम्पर्क करवाकर रिश्वत लेन देन वार्ता हेतु आरोपी सरपंच के पास रवाना किया जावेगा। समय 12.24 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री रामकल्याण के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर वार्ता की तो रामकल्याण ने कस्बा छीपाबडौद में आना बताया। परिवादी को हिदायत की गई रिश्वत लेन देन वार्ता हेतु कस्बा छीपाबडौद से रामकल्याण को साथ लेकर आरोपी सरपंच सूरजमल के पास जाकर रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें। समय 12.42 पीएम पर परिवादी दानमल को कस्बा छीपाबडौद से रामकल्याण से सम्पर्क कर आरोपी सरपंच के पास जाने की हिदायत कर डीवीआर चालू कर सुपुर्द किया गया एवं रिश्वत लेन देन हेतु आरोपी सरपंच के पास एचपी पेट्रोल पम्प के सामने अकलेरा रोड छीपाबडौद उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के परिवादी के पीछे पीछे साथ लाये वाहनो से रवाना हुए तथा आरोपी सरपंच सूरजमल के आवास एचपी पेट्रोल पम्प के सामने अकलेरा रोड के आसपास छुपाव हांसिल करते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगा। समय 1.13 पीएम पर परिवादी श्री दानमल पुत्र घासीलाल जाति मेघवाल उम्र 35 साल निवासी खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां ने छीपाबडौद-अकलेरा रोड पर एचपी पेट्रोल पम्प के सामने स्थित आरोपी सूरजमल सरपंच के मकान के सामने स्थित टीन शेड से बाहर आकर रिश्वत लेनदेन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन उप अधीक्षक प्रेमचंद मय स्टाफ मय स्वतन्त्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद एवं श्री अरूण गुप्ता के साथ परिवादी श्री दानमल के पास पहुंचा। परिवादी के पास से डी.वी.आर. लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री सूरजमल मालव सरपंच के कहेअनुसार मैंने रिश्वत राशि 12000 रूपये रामकल्याण मेघवाल को दे दिये है जिसने रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट में घुटने के पास लगी बांयी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं एसीबी जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर आरोपी के मकान के सामने स्थित टीन शेड में पहुंचा तो वहां पर दो व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हुये मिले। उनमें से एक व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति है जिसने अभी मुझसे रिश्वत राशि 12000 रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट में घुटने के पास लगी बांयी

माईड की जेब में रख लिये है तथा इनके पास बैठा दूसरा व्यक्ति जिसने चश्मा लगा रखा है वह सरपंच साहब सूरजमल मालव है जिनके कहने पर ही मैंने रिश्वत राशि रामकल्याण को दी है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर आने का उद्देश्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उससे उसका नाम पता पुनः पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामकल्याण पुत्र श्री देवलाल जाति मेघवाल निवासी मूडक्या थाना छबड़ा जिला बारां एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री सूरजमल मालव पुत्र श्री फूलचन्द जाति धाकड़ उम्र 45 साल निवासी खेड़ी तह0 छीपाबडौद जिला बारां हाल निवास अकलेरा रोड़ एचपी पेट्रोल पम्प के सामने, छीपाबडौद जिला बारां हाल सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेड़ला जागीर पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां होना बताया। इसी दौरान मौके पर सरपंच के रेत गिट्टी के स्टॉक पर काम कर रहे मजदूर व समर्थन एकत्रित हो गये। कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्राईवेट व्यक्ति रामकल्याण का बांया हाथ श्री विक्रम सिंह कानि. 23 एवं दाहिना हाथ श्री जावेद कानि 25 से कलाई के उपर से पकड़वाकर यथा स्थिति में गाड़ी में बैठाया, साथ ही आरोपी सरपंच श्री सूरजमल मालव को जाप्ते की मदद से गाडी में बैठाया गया। समय 1.15 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय आरोपीगण सूरजमल एवं रामकल्याण के घटनास्थल से साथ लाये दोनो वाहनो से पुलिस थाना छीपाबडौद के लिए रवाना हुआ। परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से थाना छीपाबडोद पहुंचने के निर्देश दिये। समय 01.25 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय आरोपीगण सूरजमल एवं रामकल्याण के घटनास्थल से दोनो वाहनो से रवाना होकर थाना छीपाबडौद पहुंचा । श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 को आरोपी सूरजमल मालव सरपंच के आवास की निगरानी हेतु रवाना किया गया। उसी समय श्रीमान कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां उपस्थित आये जिनको कार्यवाही के हालात से अवगत कराया गया। समय 1.30 पीएम पर थानाधिकारी श्री अजीत सिंह से अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त कर थाना परिसर में बने कम्प्यूटर रूम में दोनों आरोपीगण को बैठाया गया। सरकारी मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डालकर श्री बबलेश कुमार कानि 261 से बरामदगी, हाथ धुलाई एवं पूछताछ की विडियो रिकॉर्डिंग प्रारम्भ करवाई जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस ने बारी-बारी दोनों आरोपियों से पुनः अपना-अपना नाम पूछा तो पूर्व की भांति एक ने अपना नाम रामकल्याण एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सूरजमल सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ला जागीर पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां होना बताया। तत्पश्चात आरोपी रामकल्याण से परिवादी दानमल से ली गई रिश्वत राशि 12000 रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी रामकल्याण ने रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई भूरे रंग की पेन्ट में घुटने के पास की बांयी साईड की जेब में रखी होना बताया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी रामकल्याण को यथा स्थिति में रखते हुए स्वतन्त्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद से उसकी पेन्ट की जेब में रिश्वत राशि की तलाशी करवाई तो आरोपी रामकल्याण की पेन्ट में घुटने के पास की बांयी साईड की जेब में पांच-पांच सौ रूपये के नोट मिले जिनको श्री अरूण गुप्ता स्वतन्त्र गवाह से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के कुल 24 नोट कुल 12000 रूपये होना पाया गया। रिश्वत राशि 12000/- रूपये के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाह से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर से करवाया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। बरामद नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है- क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0GK 760902 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0GK 164960 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7EQ 848766 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3GQ 700958 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1AK 121816 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7NB 617228 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1SD 459998 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0CH 871829 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8TF 806946 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6CV 383478 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6EK 374918 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2MB 250742 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0TP 086863 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7VB 796004 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4CB 577144 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6SS 046302 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0QB 812144 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1NS 246090 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6AR 071683 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3FN 777419 21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1BD 478773 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4LA 605414 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8DH 564890 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0ER 204504 बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच सौ के 24 नोट कुल 12000/- रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि के अतिरिक्त आरोपी रामकल्याण के पास 8000 रूपये ओर मिले जिनके बारे में पूछा तो रामकल्याण ने बताया कि ये राशि साईड पर कर रही लेबर को देने के लिए घर से लाया हूं। आरोपी का जबाब संतोषप्रद पाया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री दिनेश कुमार कानि 360 से पानी की बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो

स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के एक गिलास में आरोपी रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क एल-1 एल-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके बाद आरोपी रामकल्याण द्वारा अपनी पहनी हुई भूरे रंग की पेन्ट की घुटने के नीचे की बांयी साईड की जेब मे रिश्वत राशि बरामद हुई है। अतः आरोपी रामकल्याण की पेन्ट का धोवन लेना आवश्यक होने से रामकल्याण की पहनी हुई पेन्ट को मर्यादापूर्वक खुलवाकर पजामा मंगवाकर पहनाया गया। तत्पश्चात आरोपी रामकल्याण की पेन्ट की जेब की धुलाई हेतु एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। गिलास के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। उक्त रंगहीन घोल के डिस्पोजल गिलास में आरोपी रामकल्याण की पेन्ट की बांयी साईड की घुटने के पास की जेब को उलटकर धुलवाई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी रामकल्याण के पहनी हुई पेन्ट को पंखे की हवा में सुखाने के लिए रखा गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री सूरजमल सरपंच से रिश्वत राशि 12000 रूपये के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैंने दानमल से कोई पैसे नहीं मांगे। दानमल के मकान की छत के मटेरियल के पैसे कुछ तो इन्होंने दे दिये, कुछ बाकी थे। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। इसके बाद आरोपी श्री रामकल्याण से परिवादी श्री दानमल से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 12000 रूपये के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी रामकल्याण ने बताया कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। मेरे पास सुबह सरपंच साहब सूरजमल जी का फोन आया था उन्होंने कहा था कि आप दानमल से बिल्डिंग मटेरियल के रूपये लेकर मुझे देना, इन पर मुझे भरोसा नहीं है। सरपंच साहब ने मेरी बात दानमल जी से भी करवाई थी इसलिए मैं सरपंच साहब के फोन करने पर राशि 12000 रूपये दानमल से लेकर सरपंच साहब सूरजमल जी को दे रहा था इतने में ही आप लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया। इस पर पास खडे परिवादी श्री दानमल ने दोनों के जबावों के संबंध में बताया कि मेरे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था जिसकी पहली व दूसरी किश्त मुझे प्राप्त हो गई। तीसरी किश्त पास कराने हेतु सरपंच साहब के मेरी फाईल पर साईन होने थे। मैं सरपंच साहब के पास गया तो उन्होंने तीसरी किश्त के कागजों पर साईन करने एवं मेरे भाई साहब अमर लाल के राशन कार्ड में उनके बेटे सुरेश व सुनील का नाम सही करने के फार्म पर साईन करने के बदले में 12000 रूपये मांगे थे। जिसकी शिकायत मैंने आपको की थी जिस पर आपने सत्यापन करवाया था। जिसमें उस समय भी इन्होंने मुझसे 12000 रूपये मांगे थे जब मैं कल शाम को इनको रिश्वत देने आया था तब ये इनके घर पर नहीं मिले। आज सुबह दोबारा इनके घर गया तो सरपंच साहब ने पैसे रामकल्याण को देने की कहा था। इसके बाद मैं रामकल्याण से आकर मिला व उसके साथ सरपंच साहब के घर पर गया। सरपंच साहब के सामने उनके कहे अनुसार ही मैंने 12000 रूपये रिश्वत राशि रामकल्याण को दिये तथा टीन शेड के बाहर आकर रिश्वत प्राप्ति का ईशारा आपको किया। सरपंच साहब झूठ बोल रहे है, मटेरियल का कोई पैसा शेष नहीं है, मेरे मकान की तीसरी किश्त पास कराने एवं मेरे भाई साहब के राशन कार्ड में उनके दोनों बेटो का नाम सही करवाने के बदले में सरपंच साहब ने रामकल्याण के माध्यम से मुझसे 12000 रूपये खुद के लिये लिए है। इसके बाद धुलाई हेतु प्रयोग में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को बाहर जलवाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी रामकल्याण की पेन्ट को सूखने के बाद एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क-पी दिया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति की हाथ, पेन्ट धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत सरकारी मोबाईल में पृथक से मैमोरी कार्ड लगाकर तैयार की गई। परिवादी के पेण्डिंग कार्य की संबंधित रिकॉर्ड चाहने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां के नाम तहरीर जारी कर श्री विक्रम सिंह कानि 23 को सूचना लेने हेतु भिजवाया जो सूचना की छायाप्रतियां सहित मय श्री कुलदीप वरिष्ठ सहायक के उपस्थित आया । सूचना का अवलोकन करने पर परिवादी का कार्य ग्राम पंचायत खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां पर श्री सूरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) के पास पेण्डिंग होना पाया गया है। प्राप्त सूचना को कार्यवाही में वांछित होने से शामिल पत्रावली किया गया। उक्त सुचना की प्रमाणित प्रतियां भिजवाने हेतु श्री कुलदीप वरिष्ठ सहायक को निर्देश दिये गये। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावेगी। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई नियमानुसार मुर्त्तिब कर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 4.40 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री सूरजमल मालव पुत्र श्री फूलचन्द जाति धाकड़ उम्र 45 साल निवासी खेड़ी तह0 छीपाबडौद जिला बारां हाल निवास अकलेरा रोड़ एचपी पेट्रोल पम्प के सामने, छीपाबडौद जिला बारां हाल सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेड़ला जागीर पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री दानमल से दिनांक

15.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 12000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान 12000/- रूपये रिश्वत राशि श्री रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी सुरजमल मालव ने फर्द पर " मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 4.55 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री रामकल्याण पुत्र श्री देवलाल जाति मेघवाल निवासी मूडक्या थाना छबड़ा जिला बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री दानमल से दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान 12000/- रूपये रिश्वत राशि श्री सूरजमल मालव सरपंच ग्राम पंचायत खेडला जागीर के कहे अनुसार प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ता में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण देना चाहते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी रामकल्याण ने फर्द पर "मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 5.15 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सूरजमल मालव पुत्र श्री फूलचन्द जाति धाकड़ उम्र 45 साल निवासी खेड़ी तह0 छीपाबडौद जिला बारां हाल निवास अकलेरा रोड एचपी पेट्रोल पम्प के सामने, छीपाबडौद जिला बारां हाल सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेड़ला जागीर पंचायत समिति छीपाबड़ौद जिला बारां को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पद का परिचय देकर अवगत कराया कि आप द्वारा परिवादी दानमल से दिनांक 15.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 12000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। तत्पश्चात दिनांक 16.09.2025 को परिवादी दानमल के प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त पास कराने एवं उसके बडे भाई के दोनों बेटो के नाम राशन कार्ड में सही करने की एवज में रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान प्राईवेट व्यक्ति श्री रामकल्याण के माध्यम से रिश्वत राशि 12000/- रूपये प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद से लिवाई गई तो आरोपी के पास पेन्ट की जेब में 11420 रूपये मिले जिनके बारे में आरोपी सूरजमल सरपंच से पूछा तो बताया कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के पैसे है, जबाव संतोषजनक होना पाया गया। आरोपी के वन प्लस नोईड सीई 5जी मिला जिसके आईएमईआई नम्बर 1. जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की नम्बर व दूसरी सिम जिओ कम्पनी की नम्बर 6375354032 लगी हुई है। कार्यवाही के दौरान परिवादी व आरोपीगण के मध्य मोबाईल पर वार्ता होना पाया गया है। उक्त मोबाईल को कार्यवाही में वांछित होने से जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने एवं आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक होने से गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवैधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के पुत्र श्री विकास मालव को दी गई। आरोपी की जामा तलाशी में मिले 11420 रूपये को आरोपी कहे अनुसार उसके पुत्र श्री विकास मालव को सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 5.40 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रामकल्याण की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक है। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री रामकल्याण पुत्र श्री देवलाल जाति मेघवाल निवासी मूडक्या थाना छबड़ा जिला बारां को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पद का परिचय देकर अवगत कराया कि आप द्वारा आरोपी सरपंच सूरजमल मालव के कहे अनुसार परिवादी दानमल से दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत राशि 12000/- रूपये प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री रामकल्याण की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद से लिवाई गई तो आरोपी के पास वीवो कंपनी मॉडल वाई 20जी मिला जिसके आईएमईआई नम्बर 1. जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की नम्बर लगी हुई है। कार्यवाही के दौरान परिवादी व आरोपीगण के मध्य मोबाईल पर वार्ता होना पाया गया है। अतः उक्त मोबाईल को कार्यवाही में वांछित होने से जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने एवं आरोपी की गिरफ्तारी

आवश्यक होने से गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवैधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री रामकल्याण की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई ज्ञानप्रकाश को दी गई। आरोपी रामकल्याण के पास बरामदगी के दौरान मिली राशि 8000 रूपये उसके कहे अनुसार उसके भाई ज्ञानप्रकाश को सुपुर्द किये। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी नियमानुसार मुर्तिब की गई। समय 6.10 पीएम पर परिवादी श्री दानमल एवं आरोपी श्री सुरजमल मालव के मध्य दिनांक 15.09.2025 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम फाईल नम्बर 250915_1832 (10 मिनट 39 सैकण्ड) जो डीवीआर के मेमोरी का कार्ड KDM 8GB में रिकार्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में श्री दिनेश कानि0 360 से लगवाकर स्पीकर ऑन परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी के पुत्र एवं एक आवाज सरपंच सुरजमल की तथा एक आवाज अपने भाई अमरलाल की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानि0 360 से टाईप करवाकर प्रिंट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 6.40 पीएम पर परिवादी श्री दानमल एवं आरोपी श्री सुरजमल मालव के मध्य दिनांक 16.09.2025 को हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय फाईल नम्बर 250916_1123 (23 मिनट 44 सैकण्ड) जो डीवीआर के मेमोरी का कार्ड KDM 8GB में रिकार्ड थी। डीवीआर को लेपटोप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को प्ले कर स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी सरपंच सुरजमल एवं एक आवाज रामकल्याण की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानि0 360 से टाईप करवाकर प्रिंट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 7.30 पीएम पर परिवादी श्री दानमल की आरोपीगण श्री सुरजमल मालव व श्री रामकल्याण से दिनांक 16.09.2025 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नम्बर 250916_1242 (31 मिनट 01 सैकण्ड) जो डीवीआर के मेमोरी का कार्ड KDM 8GB रिकार्ड थी । डीवीआर को लेपटोप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को प्ले कर स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी रामकल्याण की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानि0 360 से टाईप करवाकर प्रिंट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 9.00 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता, एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश कानि0 360, श्री सुरेश कानि0 1123 थाना छीपाबडौद, श्रीमति नीलम महिला कानि0 थाना छीपाबडौद मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय वाहन से वास्ते लेने आरोपी सुरजमल सरपंच के आवासीय मकान की खाना हेतु एचपी पेट्रोल पम्प के सामने अकलेरा रोड छीपाबडौद रवाना हुआ। आरोपीगण श्री सुरजमल मालव व श्री रामकल्याण को जाप्ता श्री विक्रम सिंह कानि0 23 एवं श्री जावेद कानि0 25 की निगरानी में थाना परिसर छीपाबडोद में छोडा गया। परिवादी श्री दानमल को भी थाना परिसर में छोडा गया। समय 9.05 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता, एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश कानि0 360, श्री सुरेश कानि0 1123 थाना छीपाबडौद, श्रीमति नीलम महिला कानि0 थाना छीपाबडौद मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय वाहन से आरोपी सुरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) के आवासीय मकान एचपी पेट्रोल पम्प के सामने अकलेरा रोड छीपाबडौद पहुंचकर नियमानुसार खानातलाशी ली गई। खानातलाशी में 9 लाख रूपये नकद मिले जिन्हें जब्त किया गया। दिनांक 17.09.2025 को समय 12.20 एएम पर आरोपी सुरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) के आवास की खानातलाशी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता, एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश कानि0 360, श्री सुरेश कानि0 1123 थाना छीपाबडौद, श्रीमति नीलम महिला कानि0 थाना छीपाबडौद, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय वाहन से आरोपी के आवासीय मकान एचपी पेट्रोल पम्प के सामने अकलेरा रोड छीपाबडौद से पुलिस थाना छीपाबडौद के लिए रवाना होकर समय 12.30 एएम पर पुलिस थाना छीपाबडौद पहुंचा। थाना परिसर में मौजूद जाप्ता श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री जावेद कानि0 25 व गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री सुरजमल मालव सरपंच व श्री रामकल्याण मेघवाल को हमराह वाहनो में बिठाया गया। परिवादी श्री दानमल को हमराह वाहन में बिठाया गया। समय 12.45 एएम पर मन प्रेमचन्द उपअधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री दानमल, स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता, एसीबी जाप्ता श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम कानि0 23, श्री जावेद कानि0 25, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री सुरजमल मालव सरपंच व श्री रामकल्याण मेघवाल मय जप्तशुदा आर्टीकल्स, जप्तशुदा रिश्वत राशि, खाना तलाशी के दौरान जप्त राशि 9 लाख रूपये के वाहनो से एसीबी कार्यालय बारां रवाना होकर समय 2.00 एएम एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। जप्तशुदा आर्टीकल्स, रिश्वत राशि व राशि 9 लाख रूपये श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 को सुपुर्द कर मालखाना में रखवाये गये। आरोपीगण को जाप्ते की निगरानी में बैठाया गया। समय 2.05 एएम पर श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री बबलेश कानि0 261,

श्री दिनेश कानि0 360, श्री विक्रम कानि0 23, श्री जावेद कानि0 25, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 को गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री सुरजमल मालव व श्री रामकल्याण मेघवाल का मेडीकल मुआयना करवाकर थाना कोतवाली की हवालात में बन्द करने हेतु तहरीर देकर राजकीय चिकित्सालय बारां व थाना कोतवाली बारां रवाना किया गया जो समय 03.00 एएम पर आरोपीगण का मेडीकल मुआयना करवाकर आरोपीगण को थाना कोतवाली की हवालात में सुपुर्द कर वापस कार्यालय आये। समय 3.15 एएम पर परिवादी श्री दानमल एवं स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद, श्री अरूण गुप्ता के समक्ष दिनांक 15.09.2025 को परिवादी दानमल व आरोपी सूरजमल मालव सरपंच के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नंबर 250915_1056 (19 Minut 27 Second) एवं रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम फाईल नंबर 250915_1832 (10 Minut 39 Second) एवं दिनांक 16.09.2025 को परिवादी दानमल एवं आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय फाईल नंबर 250916_1123 (23 Minut 44 Second) दिनांक 16.09.2025 को परिवादी दानमल एवं आरोपीगण श्री सूरजमल मालव सरपंच व श्री रामकल्याण के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नंबर 250916_1242 (31 Minut 01 Second) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड में सेव है को श्री दिनेश कुमार कानि0 360 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 04 पेन ड्राईव KDM 8GB के तैयार करवाये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव बजह सबूत नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, दो पेन ड्राईव आरोपीगण के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम, रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय व रिश्वत लेन देन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड KDM 8GB MICRO SDHC में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर बजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक मे एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द बरामदगी के समय आरोपी दलाल रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जप्ति के दौरान श्री बबलेश कुमार कानि 261 द्वारा सरकारी मोबाईल के मेमोरी कार्ड KDM 8GB MICRO SDHC में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को मय मेमोरी कार्ड लेपटॉप में जोड़कर एक पेन ड्राईव तैयार करवाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड को माननीय न्यायालय के लिए एवं पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिए पृथक-पृथक कपडे़ की थैलियों में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। तत्पश्चात खानातलाशी के दौरान श्री बबलेश कुमार कानि 261 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को मय मेमोरी कार्ड के लेपटॉप में जोड़कर एक पेन ड्राईव तैयार करवाया गया जिसमें से मूल मेमोरी कार्ड को माननीय न्यायालय के लिए एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया एवं पेन ड्राईव को टीएलओ के लिए खुला रखा गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड एवं तैयारशुदा पेन ड्राईवों की हैश वैल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा सीलशुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। समय 4.30 एएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही पश्चात परिवादी श्री दानमल एवं स्वतन्त्र गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि दिनांक 14.09.2025 को परिवादी श्री दानमल पुत्र घासीलाल जाति मेघवाल उम्र 35 सल निवासी खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां मो0नं0 ने ब्यूरो कार्यालय बारां में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री दानमल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताकर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि " प्रार्थी दानमल पुत्र श्री घासीलाल निवासी ग्राम खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां का निवासी हूं। हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच सूरजमल मेरे बडे भाई के बच्चे का राशन कार्ड में नाम सही करवाने एवं मेरी इन्द्रा आवास की तीसरी किश्त मेरे खाते में डलवाने के बदले 12000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं सूरजमल सरपंच को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उक्त सरपंच से कोई उधार लेन देन व रंजिश नहीं है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी श्री दानमल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है। उक्त शिकायत पर दिनांक 15.09.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी दानमल से दिनांक 15.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की तीसरी किश्त पास कराने एवं बडे भाई के दोनों बेटो के नाम राशन कार्ड में संशोधित करने की एवज में 12000रू रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात दिनांक 15.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी सूरजमल सरपंच (प्रशासक) के घर पर उपस्थित नहीं होने से रिश्वत का लेन देन नहीं हो सका। तत्पश्चात दिनांक 16.09.2025 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सूरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) ने श्री रामकल्याण मेघवाल प्राईवेट व्यक्ति को रिश्वत राशि 12000रू दिलवाये।

आरोपी रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति के दोनों हाथों एवं पेन्ट की जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिन्हें कांच की पृथक-पृथक शिशियां में भरकर मार्क आर-1, आर-2, एल-1 व एल-2 एवं पी-1, पी-2 अंकित कर सीलमोहर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी रामकल्याण की पहनी हुई पेन्ट से रिश्वत राशि बरामद होने से पेन्ट को बतौर वजह सबूत कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्क पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि 12000रू को जप्त किये। आरोपीगण को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपीगण ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा फर्द पर दोनों आरोपीगण ने पृथक-पृथक " मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं" अंकित किया। दोनों आरोपीगण को जुर्म मे आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। दिनांक 15.09.2025 को परिवादी व आरोपी सूरजमल सरपंच के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम एवं दिनांक 16.09.2025 को परिवादी व आरोपी श्री सूरजमल सरपंच के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय तथा दिनांक 16.09.2025 को परिवादी व आरोपीगण सूरजमल सरपंच व श्री रामकल्याण प्राईवेट व्यक्ति के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड एवं क्लोनिंग पैन ड्राईव की कार्यवाही कर हेश वेल्यू निकालकर फर्द तैयार की गई। परिवादी के पेण्डिंग कार्य संबंधी दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 15.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम व दिनांक 16.09.2025 को हुई फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय एवं रिश्वत लेन देन वार्ता, आरोपी रामकल्याण के धौवन सैम्पल, दोनों आरोपीगण का नमूना आवाज नोटिस, फर्द गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी रिश्वत राशि, प्राप्त पेण्डिंग कार्य संबंधी दस्तावेज व समस्त कार्यवाही मे आरोपीगण श्री सूरजमल मालव पुत्र श्री फूलचन्द जाति धाकड़ उम्र 45 साल निवासी खेड़ी तह0 छीपाबडौद जिला बारां हाल निवास अकलेरा रोड़ एचपी पेट्रोल पम्प के सामने, छीपाबडौद जिला बारां हाल सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेड़ला जागीर पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारां एवं श्री रामकल्याण पुत्र श्री देवलाल जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मूडक्या थाना व तहसील छबड़ा जिला बारां के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां............... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण श्री सूरजमल मालव पुत्र श्री फूलचन्द जाति धाकड़ उम्र 45 साल निवासी खेड़ी तह0 छीपाबडौद जिला बारां हाल निवास अकलेरा रोड़ एचपी पेट्रोल पम्प के सामने, छीपाबडौद जिला बारां हाल सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेड़ला जागीर पंचायत समिति छीपाबडौद जिला बारा एवं 2.श्री रामकल्याण पुत्र श्री देवलाल जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मूडक्या थाना व तहसील छबड़ा जिला बारां (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा एस.यू.कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 332 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1380-83 दिनांक 18-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग राजस्थान,जयपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PRATHVIRAJ MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)